



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 चैत्र 1943 (श10)
(सं0 पटना 207) पटना, बुधवार 24 मार्च 2021

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 मार्च 2021

सं० वि०सं०वि०-10/2021-1635/ वि०सं० । “बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक- 23 मार्च, 2021 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
राज कुमार सिंह,
सचिव।

(वि०स०वि०-10/2021)

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021**बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) में संशोधन करने के लिए विधेयक।**

प्रस्तावना:—केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को बिहार राज्य में क्रियान्वित करने हेतु बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) अधिनियमित है। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) की धारा 6 की उपधारा (2) में प्रावधानित है कि उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष पाँच वर्षों की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

चूँकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य की उच्चतर शिक्षा के सम्यक् विकास में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् की अहम भूमिका होगी। अतः राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के उपाध्यक्ष के पद पर योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान इस अधिनियम में किया जाना राज्यहित में है।

इसलिए अब, भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—

- (1) यह अधिनियम बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह दिनांक 23 सितम्बर, 2020 से प्रवृत्त हुआ माना जायेगा।

2. बिहार अधिनियम 01, 2020 की धारा 6 का संशोधन — बिहार अधिनियम 01, 2020 की धारा 6 की उप धारा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“(2) उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष 5 वर्षों की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे एवं अधिकतम दो कालावधि के लिए नियुक्त होने के शर्त के साथ पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।”

3. निरसन एवं व्यावृत्ति — (1) बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन-2) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या— 02, 2021) का निरसन किया जाता है।

(2). ऐसे निरसन के होते हुए भी बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन-2) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या— 02, 2021) के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) की धारा 6 की उपधारा (2) में प्रावधानित है कि उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष पाँच वर्षों की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष के पद पर योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति की आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए उपाध्यक्ष के पद पर पुनर्नियुक्ति संबंधी प्रावधान समाहित करने के लिए बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) की धारा 6 की उप धारा (2) में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) की धारा 6 की उप धारा (2) में संशोधन हेतु इस विधेयक को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

विजय कुमार चौधरी,

भार-साधक सदस्य।

पटना

दिनांक 23-03-2021

राज कुमार सिंह,

सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 207-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>